



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 235 - काविनी एवं वे०प्र०-29 / पाकालि / 12-13 काविनी एवं वे०प्र० / 09

दिनांक 07 अप्रैल, 2012

कार्यालय झाप

छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत ए०सी०पी० योजना लागू किये जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय-झाप सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 के प्रस्तर-20 में पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में संशोधित विकल्प प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा इस आदेश के निर्गमन की तिथि से अग्रतर 03 माह बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

सं० 235 -(1) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- अनु सचिव (स० प्र०-लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- सचिव, उ० प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर०के० श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

कृ० प्र० उ०

संशोधित विकल्प

* (1) मैं

दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं

अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर न हो जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम.....

दिनांक -

स्थान -

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।